तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामावतार प्रजापति बनाम लोक सूचना अधिकारी (सहायक निदेशक सांख्यिकी कार्यालय संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1393	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्राक प. सम्पर्क पोर्टल / आरटीआई / ई-05696 / 12 दिनाक 28.07.2025 प्रस्त। जिसमे उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्रों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर इस कार्यालय के पत्रांक 643 दिनाक 16.06.2025 द्वारा प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना / शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	